भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1455

जिसका उत्तर मंगलवार, 08 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

भारी उद्योगों के लिए बजटीय आबंटन

1455. श्री सुनील कुमार मण्डल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में भारी उद्योगों और लोक उद्यमों के लिए सरकार द्वारा किए गए बजटीय आबंटन का पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में निधियां जारी/उपयोग कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क) से (ग): देश के विभिन्न भागों में स्थित भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चालू वित्त वर्ष में किए गए बजटीय आबंटन, जारी की गई/उपयोग कर ली गई निधियों तथा निधियां जारी न किए जाने के कारणों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

.....2/-

अनुबंध

दिनांक 08.12.2015 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1455 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम**	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की मुख्य इकाई की अवस्थिति**	**वर्ष 2015-16 में आबंटन बजट**		**जारी की गई/उपयोग में लाई गई निधियां (30.11.2015 तक)**		**जारी की गई/उपयोग में न लाई गई निधियों के लिए कारण**
			योजना	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**	
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)	राजस्थान	10.00	2.00	5.00	1.00	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (कछाड़ पेपर मिल) (सीपीएम)/ नगालैंड पल्प एंड पेपर कार्पोरेशन (एनपीपीसी)	पश्चिम बंगाल	104.00	0.00	50.00	10.46*	यद्यपि कछाड़ पेपर मिल (एचपीसी) को ₹50.00 करोड़ जारी कर दिए गए हैं, तथापि पिछले वर्षों में जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र की कमी की वजह से नगालैंड पल्प एंड पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी) को ₹54.00 करोड़ की आबंटन राशि जारी नहीं की गई है।
3.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल)	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	134.56*	* 'सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनरुद्धार स्कीम का कार्यान्वयन' और 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं पृथक्करण स्कीम (वीआरएस/वीएसएस) तथा सांविधिक देयताओं की अदायगी' नाम की दो स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ₹884.00 करोड़ (योजनेतर) का एकमुश्त प्रावधान रखा गया है। ₹884.00 करोड़ में से, ₹254.97 करोड़ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों (एचपीसी, एचसीएल, एचएमटी, टीएसपीएल एवं एचपीएफ) को जारी किए गए हैं। शेष निधि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से पूर्ण प्रस्तावों के अभाव में जारी नहीं की गई है।
4.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी)	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	83.61*	
5.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल)	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	2.84*	
6.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (एचपीएफ)	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	23.50*	
7.	नेपा लिमिटेड	मध्य प्रदेश	50.99	0.00	50.99	0.00	
8.	हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी)	झारखंड	50.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आधुनिकीकरण योजना, जिसके लिए निधियां आबंटित की गई थीं, को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
9.	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल)	उत्तर प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00	जगदीशपुर पेपर मिल्स को स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।

****